

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 112 / 2023

तारीख रजू :- 3.7.2023

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/241

वीरेन्द्र पुत्र शिवसिंह जाति जाट निवासी ढिंडोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान  
—वादीगण-04

बनाम

नारायण पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी ढिंडोरा तहसील सूरौठ जिला करौली  
राजस्थान

—प्रतिवादीगण-06

दिनांक	फर्द अहकाम
3.7.2023	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली पेश हुई वकूलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते..... ..... दिनांक 1.2.23 को पेश हो।</p>
रा 9/23	<p>पत्रावली प्राप्त किया वकूलाय के द्वारा पत्र पेश हुई। वादी व वादीगण वकील आदि वादी व वादीगण वकील के अनुसार प्रकरण कि वादी व वादीगण वकील एक साथ आगे नहीं चलाया जाएगा है। वादी व वादीगण वकील एक साथ ही नोटिस के आदिन करवा गया है। आः मुक नं० 112/23 दावा को रजिस्ट्रार वकूलाय नारायण पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी ढिंडोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान को पेश किया गया है। पत्रावली मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/241 के अंतर्गत है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>

वीरेन्द्र

15/7/23

15/7/23